

षोडश माला, खंड 11, अंक 3

गुरुवार, 23 जुलाई, 2015

1 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)



(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2015 / 1937 (शक)
अंक 3, गुरुवार, 23 जुलाई, 2015 / 1 श्रावण, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
*प्रश्नों के लिखित उत्तर	11
तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690	

* श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया और योगी आदित्यानाथ द्वारा प्रस्तुत किए गए तारांकित प्रश्न संख्या 41 का लोप कर दिया गया। इसके अलावा, सभा में निरंतर व्यवधान के कारण मौखिक उत्तर के लिए तारांकित प्रश्न नहीं लिए जा सके। अतः इन तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्न माना गया।

सभा पटल पर रखे गए पत्र	12-13
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 12 ^{वां} प्रतिवेदन	14
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति 14 ^{वें} से 17 ^{वां} प्रतिवेदन	14-15
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति 265 ^{वें} से 267 ^{वां} प्रतिवेदन	16
कार्य मंत्रणा समिति 20 ^{वां} प्रतिवेदन	17
समितियों के लिए निर्वाचन (i) प्राक्कलन समिति	18
(ii) अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण संबंधी समिति	19-20
परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लिए जाने से संबंधित राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के बारे में प्रस्ताव	21
निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक, 2015	22

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तम्बिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना (नाग) डे

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

गुरुवार, 23 जुलाई, 2015 / 1 श्रावण, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं]

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यों, मुझे आई.पी.एल. के बारे में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री एम. वीरप्पा मोइली, श्री के.सी. वेणुगोपाल से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री मो. बदरुद्दोजा खान, श्री मोहम्मद सलीम, श्री शंकर प्रसाद दत्ता और श्री एम.बी. राजेश इनकी व्यापम पर नोटिस है। [हिन्दी] पी.करुणाकरन की आई.पी.एल. पर नोटिस है। धर्मेन्द्र यादव की नोटिस फार्मर्स को हो रहे नुकसान के मुआवजे को लेकर है। एन. के. प्रेमचन्द्रन की नोटिस आई.पी.एल. पर है। डॉ. ए. सम्पत की नोटिस कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर है। सर्वश्री जय प्रकाश नारायण यादव की नोटिस, जो रिपोर्ट सेंसस की पब्लिश करनी है, उसके संदर्भ में है और श्री जितेन्द्र रेड्डी जी की सेपरेट हाई कोर्ट इन तेलंगाना के ऊपर नोटिस है। ये सभी नोटिसेस मुझे प्राप्त हो गई हैं और मैं इनको अस्वीकृत कर रही हूँ।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदया, मेरा भी एक नोटिस है।... (व्यवधान) उन्होंने पार्लियामेंट के मेंबर्स के बारे में बोला है।... (व्यवधान) मेरा भी एक नोटिस है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह मेरे विचाराधीन है।

... (व्यवधान)

श्री के. सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): क्या यह स्थगन प्रस्ताव है? ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदया, इसमें मेरे नोटिस का जिक्र नहीं है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह मेरे विचाराधीन है।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय, श्री बलका सुमन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: तख्तियां न दिखाएं।

... (व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय, श्री निनोंग इरिंग और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर

सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

माननीय अध्यक्ष: अब, प्रश्नकाल। प्रश्न संख्या 42 - डॉ. मनोज राजोरिया।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, देश में यूपीए सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से कोयले का आबंटन गलत तरीके से हुआ और देश में लाखों करोड़ रूपए का घोटाला हुआ, उससे जनता के सामने नीलामी प्रक्रिया में जो आनियमिततायें थीं...(व्यवधान) उन आनियमितताओं को दूर करने के लिए...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: उन्होंने लिखा है कि पार्लियामेंट में बैठे लोग ... * ऐसे लीडर पैदा हो गए हैं...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि राबर्ट वाड्रा ने अपने फेस बुक अकाउन्ट पर पार्लियामेंट पर अटैक किया है। उन्होंने लिखा है कि पार्लियामेंट के जो लोग हैं, लीडर हैं, वे ऐसे हो गए हैं और पार्लियामेंट के लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसा वह नहीं कह सकता है।...(व्यवधान) वह ऐसा नहीं कह सकता है।...(व्यवधान) कोई इंडीविजुअल भी ऐसा नहीं कह सकता है।...(व्यवधान) महोदया, इसलिए मेरा प्रिविलेज मोशन एक्सेप्ट किया जाए और मुझे बोलने का अवसर दिया जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 42 - डॉ. मनोज राजोरिया।

... (व्यवधान)

डॉ. मनोज राजोरिया: प्रश्न संख्या 42 ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

... (व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

माननीय अध्यक्ष : गौरव गोगोई जी, ऐसा मत कीजिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: तख्तियां न दिखाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया कोई तख्तियां न दिखाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री गौरव गोगोई, कृपया कोई तख्ती न दिखाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. मनोज राजोरिया, कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिये।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*** प्रश्नों के लिखित उत्तर**

(तारांकित प्रश्न संख्या 42 से 60
अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690)

* प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं <https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers>
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फ़िल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुईं)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) टी.एच.डी.सी. इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापना

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2725/16/15]

(दो) पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुआ समझौता ज्ञापना

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2726/16/15]

(2) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2727/16/15]

(3) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 182 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- . (एक) गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड संबंधित सौर ऊर्जा विनियम) 2015 जो 15 मई, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जे.ई.आर.सी.-19/2015 में प्रकाशित हुए थे।
 - . (दो) गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कारबार का संचालन) (चौथा संशोधन) विनियम, 2015 जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जे.ई.आर.सी.-1/2009 में प्रकाशित हुए थे।
 - . (तीन) गोवा और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए मंच की स्थापना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015 जो 9 मार्च, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जे.ई.आर.सी.-4/2009 में प्रकाशित हुए थे।
- (4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (दो) एवं (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल.टी. 2728/16/15]

अपराह्न 12.0 3/4 बजे**गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति****12वां प्रतिवेदन**

डॉ. एम. तंबिदुरे (करूर): मैं गैर - सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के बारहवें प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत करता हूँ।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.01 बजे

इस समय, श्री कोडिकुन्नील सुरेश, श्री बलका सुमन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.01 1/4 बजे**सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति****14वें से 17वां प्रतिवेदन**

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : महोदया, मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग) से सम्बन्धित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 14वां प्रतिवेदन।
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से सम्बन्धित लम्बित आश्वासनों की समीक्षा के बारे में 15वां प्रतिवेदन।
- (3) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 16वां प्रतिवेदन (माने गए)।
- (4) आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों के बारे में 17वां प्रतिवेदन (न माने गए)।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति**265^{वें} से 267^{वां} प्रतिवेदन**

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान (संबलपुर): महोदया, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) 'उत्तराखंड में बड़े भूकंप का कथित पूर्वानुमान' के बारे में 265वां प्रतिवेदन।
- (2) 'ई-कचरा और ई-विकिरण' के बारे में 266वां प्रतिवेदन।
- (3) 'श्रीनगर में अभूतपूर्व बाढ़ और लेह, जम्मू और पठानकोट में बाढ़ का पूर्वानुमान तथा पर्यावरणीय मुद्दे' के बारे में 267वां प्रतिवेदन।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

20वां प्रतिवेदन

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, मैं कार्य मंत्रणा समिति का बीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.03 ½ बजे**समितियों के लिए निर्वाचन****(i) प्राक्कलन समिति****[हिन्दी]****डॉ. मुरली मनोहर जोशी (कानपुर):** महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से प्राक्कलन समिति की शेष बची अवधि के लिए श्री दिलीप सिंह भूरिया के निधन होने के कारण उनके स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निवारचित करें।"

[अनुवाद]**माननीय अध्यक्ष :** प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से प्राक्कलन समिति की शेष अवधि के लिये श्री दिलीप सिंह भूरिया के निधन होने के कारण उनके स्थान पर समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण संबंधी समिति

श्री राजेन गोहेन (नौगोंग): महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:

“कि यह सभा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अन्य पिछड़े वर्गों का के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

श्री राजेन गोहेन : महोदया, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए अपने में से दस सदस्य निर्वाचित करे तथा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा राज्य सभा से यह सिफारिश करती है कि राज्य सभा समिति की पहली बैठक की तारीख से एक वर्ष के कार्यकाल के लिए अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए अपने में से दस सदस्य निर्वाचित करे तथा समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.05 बजे

परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2015 को वापस लिए जाने से संबंधित राज्य सभा की सिफारिश से
सहमति के बारे में प्रस्ताव

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य के मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): महोदया, मैं निम्नलिखित
प्रस्ताव करता हूँ:-

“कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि 13 मई, 2015 को लोक सभा द्वारा पारित तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखे गये परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का और संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य सभा द्वारा वापस लिए जाने की अनुमति से लोक सभा सहमत है।”

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि 13 मई, 2015 को लोक सभा द्वारा पारित तथा उसी दिन राज्य सभा के पटल पर रखे गये परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का और संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य सभा द्वारा वापस लिए जाने की अनुमति से लोक सभा सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

अपराह्न 12.06 बजे**निरसन और संशोधन (तीसरा) विधेयक, 2015**

विधि और न्याय मंत्री (श्री डी. वी. सदानन्द गौड़ा): महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने वाले और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

“कि कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने वाले और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा: महोदया, मैं विधेयक को वापस लेता हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रहलाद जी।

... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़): महोदया, मैंने श्री रोबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के लिए नोटिस दिया है। ... (व्यवधान) उन्होंने फेसबुक पर एक टिप्पणी पोस्ट की है और कहा है:

"संसद की बैठक शुरू होती है और उनके ध्यान भटकाने वाले राजनीतिक हथकंडे भी शुरू हो जाते हैं...

भारत के लोग मूर्ख नहीं हैं।

भारत को ऐसे तथाकथित नेताओं के नेतृत्व में देखकर खेद होता है!!"

शायद, उन्होंने अपनी पार्टी पर टिप्पणी की है। ... (व्यवधान)

महोदया, रॉबर्ट वाड्रा ने न केवल संसद के सदस्यों को नीचा दिखाया है, बल्कि संसद की पूरी छवि को भी धूमिल किया है। (व्यवधान) उन्होंने संसद के अधिकार को चुनौती दी है। ... (व्यवधान) इससे रॉबर्ट वाड्रा ने पूरी दुनिया में संसद की प्रतिष्ठा को खंडित कर दिया है। ... (व्यवधान) जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने किया है, ... § उन्होंने लोकतंत्र और संसद का भी अनादर किया है। ... (व्यवधान) जैसे इन्होंने इमरजेंसी लगाया था, वैसे ही उन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर अटैक किया है।... (व्यवधान) उनकी लोकतंत्र में आस्था नहीं है और इस पर विश्वास भी नहीं है। इसीलिए, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव स्वीकृत किया जाना चाहिए और रॉबर्ट वाड्रा को दंडित किया जाना चाहिए। ... (व्यवधान) रॉबर्ट वाड्रा को तुरंत सभा के समक्ष बुलाया जाना चाहिए और उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। ... (व्यवधान) रॉबर्ट वाड्रा ने संसद और पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली का पूर्ण रूप से अनादर किया

§ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

है। उन्हें तुरंत इस संसद के समक्ष बुलाया जाना चाहिए और उन्हें दंडित किया जाना चाहिए और उनकी भर्त्सना की जानी चाहिए... (व्यवधान)

रॉबर्ट वाड्रा को निश्चित रूप से दंडित किया जाना चाहिए ... (व्यवधान) धन्यवाद।... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़, मेरा आपसे निवेदन है कि केवल दो मिनट के लिए मेरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप यहीं खड़े रहकर ही मेरी बात सुनिए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैं आप लोगों को अपने स्थान पर जाने के लिए नहीं कह रही हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, मुझे पता है। इसलिए, मैं खड़ी हूँ।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं उसी के लिए खड़ी हुई हूँ।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनको भी बोलूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनको डांटने का तो मौका दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, दो मिनट का समय तो मुझे दीजिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उनको तो बोलूं। वह भी ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सबसे मेरा निवेदन है

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझे मालूम है मैं सब बोल रही हूं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सभी से अनुरोध कर रही हूं।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैं आप सभी से, सभी में यहां के भी लोग आ गए, वहां के भी लोग आ गए, मेरा आप सभी से निवेदन है

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ लोग यहां पर हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्लीज सुनिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा एक निवेदन है। कोई भी नहीं दिखाए, न आप दिखाएंगे, न वे दिखाएंगे, कोई भी प्लेकार्ड कृपा करके नहीं दिखाएगा। वे कर रहे हैं, इसलिए हम करें, यह तरीका ठीक नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक बात ध्यान में रखिए। अगर आप सदन की कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं तो ठीक है। मैं इसे स्थगित कर दूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपकी इच्छा है कि कोई भी चर्चा नहीं हो तो मैं हाउस एडजर्न करूंगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा एक बार फिर निवेदन है

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : क्या आप सभा की कार्यवाही नहीं चलाना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बार-बार मैं आप सभी से निवेदन कर रही हूँ कि आप तख्तियां न दिखाएं। कृपया ऐसा न करें। वे भी नहीं दिखाएं। किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह उचित नहीं है।

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : नियम तो आपके बनाए हुए हैं। नियम मेरे बनाए हुए नहीं हैं, नियम आप सबने बनाए हैं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे तो बैठ गए, आप भी बैठ जाइए। आई एम सॉरी।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, जो भी श्री जोशी ने श्री वाड़ा के बारे में कहा, वे इस सभा के सदस्य नहीं हैं। ... (व्यवधान) इसके बावजूद भी ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा में कौन नहीं है?

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : प्लीज, प्लेकार्ड नहीं हिलाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अगर आपको नहीं सुनना है, अगर आपको बातचीत नहीं करनी है, अगर आपको चर्चा नहीं करनी है, अगर आप नहीं चाहते हैं तो इट्स ओके।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सभा कल 24 जुलाई, 2015 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.14 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 24 जुलाई, 2015 / 2 श्रावण, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए

स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

<https://sansad.in/ls>

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
अन्तर्गत प्रकाशित
